

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 128 : Power to waive penalty or fee or both

The Government may, by notification, waive in part or full, any penalty referred to in section 122 or section 123 or section 125 or any late fee referred to in section 47 for such class of taxpayers and under such mitigating circumstances as may be specified therein on the recommendations of the Council.

धारा 128 : शास्ति या शुल्क या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति

सरकार, अधिसूचना द्वारा करदाताओं के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब शुल्क का आंशिक रूप में या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिश पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनीकरण परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी।
